छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1047/2008

1. मो0 अब्दुल सलाम आजाद, – *अपीलार्थी*
क्वा0 नंबर ए/सीए बी–4, कैम्प–1,
भिलाई, जिला– दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय कार्यपालन यंत्री,
(संचार/संधार) छ0ग0 विद्युत मण्डल,
कवर्धा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 12 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी मो0 अब्दुल सलाम आजाद द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचार/संधार), छ0ग0 विद्युत मण्डल, कवर्धा के समक्ष दिनांक 12.05.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर उन्हें अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी प्रदान किये जाने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 18.07.2008 को अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील का निपटारा नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 17.09.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने के कारण जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और साथ ही 15 दिवस में निःशुल्क जानकारी देने के निर्देश भी जारी किये गये थे । जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 04.03.2009 को उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गय। अपीलार्थी पूर्व में विद्युत मण्डल का कर्मचारी रहा है तथा उन्होंने अपने स्टायपेंड के बारे में जानकारी चाही थी और उसके साथ कुछ साथी कर्मचारियों द्वारा मारपीट करने के संबंध में की गई जॉच का प्रतिवेदन भी चाहा था। कार्यपालन अभियंता ने अपने उत्तर में यह बताया है कि उनकी नियुक्ति शर्तों के अनुसार उन्हें स्टायपेंड की पात्रता नहीं थी, ऐसा उत्तर उनके द्वारा प्रदान किया गया था और गाली–गलोज तथा मारपीट न होकर सामान्य बहस कर्मचारियों द्वारा हुई थी तथा इस संबंध में जॉच प्रतिवेदन की प्रति उन्होंने अपीलार्थी को सुनवाई के समय ही प्रदान की, किन्तु अपीलार्थी ने बताया कि जॉच प्रतिवेदन के साथ जो बयान संलग्न करना बताया है, वह वास्तव में बयान न होकर आवेदन है। अतः उपरोक्त स्थिति में यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि जॉच प्रतिवेदन के साथ कोई बयान लिया गया हो तो उनकी प्रति भी अपीलार्थी को एक सप्ताह में दिया जावे अथवा स्पष्ट उत्तर बयान के संबंध में दिया जावे। अपीलार्थी विद्युत मण्डल से त्याग पत्र भी दे चुके हैं और उसके संबंध में भी आवश्यक जानकारी दी गई है। उपरोक्त स्थिति में चूंकि जानकारी छिपाने के संबंध में कोई

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

दुर्भावना नहीं थी, अतः जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी सुनवाई नहीं किया जाना प्रतीत होता है और प्रकरण में उनके द्वारा यह बताया गया कि कवर्धा उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसलिए सुनवाई नहीं की जा सकी, अतः उन्हें चाहिए था कि जिनके क्षेत्राधिकार में आता हो, वहॉ के प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील हस्तांतरित कर देते, ताकि उसकी सुनवाई की जा सकती थी । अतः भविष्य में प्रथम अपील की सुनवाई समय पर करने और आवश्यकता पड़ने पर हस्तांतरित करने के लिए भी प्रथम अपीलीय अधिकारी को सचेत किया जाता है । प्रकरण में अपूर्ण एवं विलंब से जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विद्युत मण्डल की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com